Order Sheet [Contd] (9) C.J. Case No. 195/16 CRA

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12.11.2016	प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष पेश किया	कि होए। र रिमानिमार
The state of the s	गया । प्रकरण में अपीलार्थी संदीप उपस्थित हे उसके साथ उसके अधिवक्ता श्री मुकेश कुशवाह उपस्थित हैं । शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक । प्रकरण का आहत / फरियादी पंचमसिंह न्यायालय में उपस्थित हैं । फरियादी पंचम सिंह की पहचान श्री बृजराजसिंह गुर्जर अधिवक्ता ने की । उपस्थित उमयपक्षकार ने लोक अदालत का आवेदनपत्र एवं डॉकेंट पर अपने हस्ताक्षर कर पेश किये तथा आपस में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान किये जाने वाबत् आवेदन धारा 320(2)जा०फो० का पेश किया तथा साथ ही राजीनामा आवेदनपत्र भी पेश किया ।	आरोप से अर्ग अस्ति मन्न अस्ति विद्या अस्ति अस्ति
	उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 323,325 भा०द0सं० में दोषी ठहराते हुये धारा 325 भा०द0सं० में 6 माह के सश्रम कारावास एवं पांच सौं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है।	
	धारा 325 भा०द०स० न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य धारा है । उभयपक्षकार ने आपसी सहमित के आधार पर बिना किसी डर दबाब के आपस-में राजीनामा करना व्यक्त किया है । राजीनामा वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है ।ऐसी दशा में प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है ।	
	उभयपक्ष की ओर से पेश राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। अपीलार्थी को धारा 325 भाव द्वारां के अंतर्गत 6 माह के कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
6 CKA	राजीनामा स्वेच्छ्या पूर्वक बिना किसी दबाब के आपस में किया जाना प्रतीत होता है ऐसी दशा में राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अपीलार्थी / आरोपी संदीप उर्फ संजू को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया धारा 325 भा०द०सं० में दी गयी 6 माह की कारावास की सजा को अपास्त करते हुये अपीलार्थी / आरोपी संदीप उर्फ संजू को धारा 325 भा०द०सं० के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है । अपीलार्थी / आरोपी की ओर से विचारण न्यायालय में जमा किया गया अर्थदण्ड की राशि वापिस किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजा जाये ।	Date of Order Ord
	परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो। (डिकार्सिक्यपिकियाम पीटामीन अस्ट्रिकार्टी कर्षा सज्ञ न्यापासीशः	1 101 mg